न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट चौमूँ, जिला जयपुर

मु.न. 04/2018

उनवान

1. कैलाश पुत्र श्रवणलाल,
2. रामकिशोर पुत्र श्रवणलाल,
3. बाबूलाल पुत्र श्रवणलाल,
4. कजोडी देवी पत्नी श्रवणलाल,
5. मन्जू पत्नी कैलाशचन्द,

समस्त जाति माली, निवासी ग्राम महारकलां, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. राधेश्याम पुत्र चौथमल,
2. भगवान सहाय पुत्र राधेश्याम,
3. केशव पुत्र राधेश्याम,
4. कैलाश पुत्र चौथमल,

समस्त जाति माली, निवासी पाल की ढ़ाणी, ग्राम महारकलां, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

5. रामेश्वर पुत्र धन्ना, जाति माली, निवासी पाल की ढाणी, ग्राम महारकलां, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
6. अनिता देवी पुत्री श्रवणलाल पत्नी गोविन्द, जाति माली, निवासी पाल की ढाणी, ग्राम महारकलां, हाल निवासी ग्राम जैतपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
7. सुनिता देवी पुत्री श्रवणलाल पत्नी चन्दालाल, जाति माली, निवासी पाल की ढाणी, ग्राम महारकलां, हाल निवासी ग्राम जैतपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

परफोर्मा प्रतिवादीगण

दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक :– 04.12.2021

पत्रावली पेश हुई। वादी ने वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम महारकलां, पटवार हल्का महारकलां, भू–अभि.नि. क्षेत्र सामोद, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में आराजी खसरा नम्बर 1235 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1237 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1238 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1239 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1240 रकबा 0.02 हैक्टेयर खसरा नम्बर 1262/1683 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1271 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1272 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1287 रकबा 0.29 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1305 रकबा 0.03 हैक्टेयर कुल किता 10 का कुल रकबा 0.87 हैक्टेयर स्थित है जो वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 7 की संयुक्त खातेदारी भूमि है। उक्त भूमियां में से खसरा नम्बर 1305 रकबा 0.03 हैक्टेयर की भूमि ही प्रस्तुत वाद पत्र में विवादित है जिसे वाद पत्र के अग्रिम मदों में विवादग्रस्त आराजीयात के नाम से सम्बोधित किया गया है।

उक्त वर्णित विवादग्रस्त आराजीयात खसरा नम्बर 1305 के दक्षिणी दिशा में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 की भूमि स्थित है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 आये दिन वादीगण की भूमि की सींव डोल में छेड़छाड़ करते रहते है तथा वादीगण की भूमि के उपयोग उपभोग में व्यवधान करते रहते है व जबरिया वादीगण की भूमि पर निर्माण कार्य करना चाहते है, जिसका प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को कोई हक अधिकार प्राप्त नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2022.01.05 08:54:12 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होकर निरन्तर हर प्रकार से उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है तथा आवारा पशुओं की सुरक्षा की दृष्टि से वादीगण द्वारा उक्त आराजीयात पर अपनी भूमि में कच्ची डोल व तारबन्दी कर रखी है।

प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 का वाद पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित विवादित भूमि के कब्जे एवं स्वामित्व से किसी प्रकार का कोई संबंध व सरोकार नही है तथा

प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 विवादग्रस्त भूमि के दक्षिणी दिशा के पडौसी है जिस कारण प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 आये दिन वादीगण की भूमि पर जबरिया कब्जा करने की नियत से सींव डोल, कच्ची डोल एवं सीमा चिन्हों में तोड–फोड करते रहते है तथा विवादग्रस्त भूमि के वादीगण द्वारा किये जा रहे शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग में व्यवधान कारित करते है तथा जबरिया वादीगण की भूमि पर निर्माण कार्य कर वादीगण की भूमि को हडप कर जाना चाहते है जिसका प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को कोई हक अधिकार प्राप्त नही है। इसी विधि विरूद्ध उद्देश्य से प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 द्वारा अन्य असामाजिक तत्वों की मदद से दिनांक 21.12.2018 को विवादग्रस्त भूमि पर आकर वादीगण के कब्जे एवं स्वामित्व के शान्तिपूर्ण उपयोग उपभोग में व्यवधान कारित किया गया तथा जबरिया वादीगण की सम्पत्ति में प्रवेश करने की नियत से उसकी भूमि में कायम सीमा चिन्ह एवं कच्ची मिट्टी की डोल को क्षतिग्रस्त कर जबरिया वादीगण की भूमि पर नींव खोदकर निर्माण कार्य करने का प्रयत्न किया गया तथा विवादित भूमि की सीमा पर जबरिया निर्माण सामग्री एकत्रित कर कब्जा करने का प्रयत्न करने लगे जिसका विरोध वादीगण द्वारा किये जाने पर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 द्वारा वादीगण को ऐलानियां धमकी दी गई कि वे शीघ्र ही विवादित भूमि पर जबरिया कब्जा कर वादीगण व अन्य सह खातेदारों को बेदखल कर देंगे तथा वादीगण को विवादग्रस्त भूमि का शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग नही करने देंगे, जिसमें यदि वादीगण ने कोई आपत्ति की तो परिणाम अच्छा नही होगा जिस कारण वाद वादीगण श्रीमान्जी के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण सालिम डिक्री किया जाकर वादीगण को निम्नलिखित अनुतोष प्रदान किया जावें:–

प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्ध किया जावें कि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 वाद पत्र में वर्णित विवादित आराजी वाके ग्राम महारकलां, पटवार हल्का महारकलां, भू–अभि. नि. क्षेत्र सामोद, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 1305 रकबा 0.03 हैक्टेयर का वादीगण द्वारा किये जा रहे शान्तिपूर्ण उपयोग उपभोग में व्यवधान कारित नही करें, ना ही विवादित भूमि पर बनी मिट्टी की कच्ची डोल को तोडे, ना ही सीमा चिन्हों को खुर्द–बुर्द करें, ना ही नींव खोदें, ना ही पुख्ता निर्माण कार्य करें, ना ही निर्माण सामग्री डाले, ना ही विवादित भूमि पर जबरिया कब्जा कर वादीगण को बेदखल करें। उक्त कृत्य उक्त प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 ना तो स्वयं करें, ना ही अपने किसी एजेन्ट, सर्वेन्ट या वर्कमैन के जरिये करवायें अर्थात् मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

पत्रावली पेश हुई। दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी की गई। पत्रावली आज प्रशासन गावों के संघ अभियान कैम्प कोर्ट महारकलां में पेश हुई। वादी संख्या 3 स्वयं उपस्थित है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 स्वयं उपस्थित है। शेष प्रतिवादीगण बावजुद सूचना अनुपस्थित है। अतः इनके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल मे लायी जाती है।

पत्रावली एवं दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। उभयपक्षकारान को सुना गया। प्रकरण में तथ्य एवं परिस्थितियों अनुसार वाद पत्र बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः वादीगण का वाद वादपत्र अनुसार डिक्री किया जाकर तहसीलदार चौमूं को निर्देशित किया जाता है कि विवादित भूमि आराजी खसरा नम्बर 1305 रकबा 0.03 है0 कुल किता 1 का कुल रकबा 0.03 हैक्टेयर [illegible] ग्राम महारकलां, पटवार हल्का महारकलां, भू–अभि.नि. क्षेत्र सामोद, तहसील चौमूं, जिला जयपुर का प्रार्थी के आवेदन पर सीमाज्ञान करवाकर सीमाज्ञान के चिन्हों का प्रतिवादीगण अतिक्रमण नही करें तथा साथ ही प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को इस [illegible] किया जावे। डिक्री जारी हों। डिक्री की प्रति तहसीलदार चौमूं को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 04.12.2021 को खुले न्यायालय मे मेरे द्वारा सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2022.01.05 08:54:12 IST
Reason: SelfAttested

(राहुल जैन)
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं (जयपुर)

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट चौमूॅ, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– राहुल जैन (I.A.S)

उनवान

1. कैलाश पुत्र श्रवणलाल,
2. रामकिशोर पुत्र श्रवणलाल,
3. बाबूलाल पुत्र श्रवणलाल,
4. कजोडी देवी पत्नी श्रवणलाल,
5. मन्जू पत्नी कैलाशचन्द,

समस्त जाति माली, निवासी ग्राम महारकलां, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. राधेश्याम पुत्र चौथमल,
2. भगवान सहाय पुत्र राधेश्याम,
3. केशव पुत्र राधेश्याम,
4. कैलाश पुत्र चौथमल,

समस्त जाति माली, निवासी पाल की ढ़ाणी, ग्राम महारकलां, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

5. रामेश्वर पुत्र धन्ना, जाति माली, निवासी पाल की ढाणी, ग्राम महारकलां, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
6. अनिता देवी पुत्री श्रवणलाल पत्नी गोविन्द, जाति माली, निवासी पाल की ढाणी, ग्राम महारकलां, हाल निवासी ग्राम जैतपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
7. सुनिता देवी पुत्री श्रवणलाल पत्नी चन्दालाल, जाति माली, निवासी पाल की ढाणी, ग्राम महारकलां, हाल निवासी ग्राम जैतपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

परफोर्मा प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा</u>

मुकदमा नम्बर :–04/2018

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू वादी मिन जामिन मुददई रूबरू राहुल जैन आईएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है तथा तहसीलदार चौमूं को निर्देशित किया जाता है कि विवादित भूमि आराजी खसरा नम्बर 1305 रकबा 0.03 है0 कुल किता 1 का कुल रकबा 0.03 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम महारकलां, पटवार हल्का महारकलां, भू–अभि.नि. क्षेत्र सामोद, तहसील चौमूं, जिला जयपुर का प्रार्थी के आवेदन पर सीमाज्ञान करवाकर सीमाज्ञान के चिन्हों का प्रतिवादीगण अतिक्रमण नही करे तथा साथ ही प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को इस बाबत सक्त पाबन्ध किया जावें। डिक्री की प्रति तहसीलदार चौमूं को पालनार्थ प्रेषित हों।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2022.01.05 08:54:12 IST
Reason: SelfAttested

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 04.12.2021 को खुले न्यायालय में जारी किया गया।

मोहर

(राहुल जैन)
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं (जयपुर)

मुदई	रूपये	पैसे	मुदाईला	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2		स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा	1		स्टाम्प वकालतनामा	2	
स्टाम्प वजह सबूत					
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीसकमिश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान	3		मीजान	2	

नोटः—इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दोफरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2022.01.05 08:54:12 IST
Reason: SelfAttested